

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

शाहिद परवेज,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत CWJC No-7692/2026 बिहार जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास के बीच सड़क के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात उक्त भूमि पर पार्क निर्माण हेतु राशि कुल ₹256.79791 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उन्नीसी हजार सात सौ एकानवें रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC No-7692/2026 बिहार जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास के बीच सड़क के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात उक्त भूमि पर पार्क निर्माण किया जाना है। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक-836 दिनांक-03.09.2026 द्वारा समर्पित योजना के प्राक्कलन एवं प्रस्ताव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पत्रांक-5389 दिनांक-03.09.2026 द्वारा प्रस्ताव को अग्रसारित करते हुए उक्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने अनुरोध किया गया है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति स्तम्भ-04 के अनुरूप नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	नगर निगम, पटना	जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास में पार्क निर्माण।	256.79791

3. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा कराया जाएगा।

(ii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, जिला पदाधिकारी, पटना एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना आश्वस्त हो लेंगे कि योजना की डुप्लीकेसी किसी स्तर पर ना हो।

विश्वासभाजन,

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/न्याया०-03-67/2026 **9568(A)** /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- **10.9.26**

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव—सह—व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Handwritten signature and date 10.9.26

सरकार के विशेष सचिव।